सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 453 राँची, शुक्रवार, 3 अक्टूबर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

15 जुलाई, 2025

संख्या-5/आरोप-1-52/2020-31931 (HRMS)--श्रीमती वेदवन्ती कुमारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-354/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदनकियारी, बोकारो के विरूद्ध उपायुक्त, बोकारो के ज्ञापांक-3235/गो0, दिनांक 30.08.2020, पत्रांक-69/गो0, दिनांक 08.01.2021 एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-162, दिनांक 27.01.2021 के माध्यम से उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-4297/गो0, दिनांक 06.12.2020 द्वारा मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने, प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता एवं बिना सक्षम पदाधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय से बाहर रहने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए इनके विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई ।

श्रीमती कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत उपायुक्त, बोकारो से तीन अलग-अलग पत्रों से प्रतिवेदित आरोपों को समेकित करते हुए विभाग स्तर से आरोप पत्र का गठन किया गया। उक्त गठित आरोप पत्र में इनके विरूद्ध मनरेगा, आवास योजनाओं एवं अन्य विकास योजनाओं में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने, दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने एवं स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित नहीं करने, उच्चाधिकारियों के निर्देश के बावजूद विकास योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने, अनधिकृत अनुपस्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना का पर्यवेक्षण नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

श्रीमती कुमारी के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5601, दिनांक 06.10.2023 एवं स्मार पत्रों द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्रीमती कुमारी के पत्रांक-1843, दिनांक 27.06.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मुख्य से प्रतिवेदित किया गया कि सभी निर्देशों को अक्षरशः अनुपालन किया गया है एवं निदेशानुसार योजनाओं की लगातार समीक्षा एवं क्षेत्र भ्रमण किया गया है। विकास योजनाओं में अपेक्षित प्रगति/धीमी प्रगति ग्राम रोजगार सेवकों के हड़ताल एवं कोरोना महामारी से प्रभावित होना बताया गया। आवास पूर्णता में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के संबंध में विधान सभा चुनाव एवं अन्य कार्यों में व्यस्तता को कारण बताया गया है। दिनांक 23.09.2020 को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवकाश अवधि में माह सितम्बर, 2020 के अपने वेतन विपत्र पर दिनांक 29.09.2020 को हस्ताक्षर करने के आरोप में उनके द्वारा प्रतिवेदित है कि उनकी तबीयत खराब होने के कारण दिनांक 23.09.2020 को डॉक्टर से चिकित्सीय परामर्श कराने ये बोकारो गई थी, जिसकी सूचना उपायुक्त को दूरभाष पर दिया गया था। इलाज कराकर ये वापस अपने कार्यक्षेत्र में लौट गई थी। उपरोक्त अवधि में इनके द्वारा कार्यालय कार्यों की पूरी निष्ठा के साथ निष्पादन किया गया है ।

श्रीमती कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए मनरेगा योजनाओं में शिथिलता बरतने संबंधी आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया ।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1387, दिनांक 07.03.2025 द्वारा श्रीमती कुमारी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। श्रीमती कुमारी के पत्रांक-141, दिनांक 17.03.2025 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया ।

श्रीमती कुमारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि अपने द्वितीय कारण पृच्छा में इनके द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा पूर्व में समर्पित अपने स्पष्टीकरण में रखा गया था ।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती वेदवन्ती कुमारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 354/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदनकियारी, बोकारो द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती वेदवन्ती कुमारी, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	BEDAWANTI KUMARI 110063186510	श्रीमती वेदवन्ती कुमारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 354/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदनकियारी, बोकारो द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 453 - 50